न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 74/2022

अनवान : –

1. गुरदीप पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी चक 6–7 डी.डब्ल्यू.डी तहसील रावतसर

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 5/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 450/443 की कुल 13.1520है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम कुलदीप पुत्र रामकिशन दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम गुरदीप पुत्र रामकिशन है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा सरपंच ग्राम पंचायत 6–7 डीडब्ल्यूडी जारी प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर के पत्रांक 1439 दिनांक 07.02.23 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी का नाम गुरदीप पुत्र रामकिशन दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम गुरदीप है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कुलदीप दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:55:58 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाता स0 450/443 की कुल 13.1520है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज, जिसमें प्रार्थी अपना नाम कुलदीप पुत्र रामकिशन के स्थान पर गुरदीप पुत्र रामकिशन दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड पैनकार्ड व सरंपच ग्राम पंचायत 7 डीडब्ल्यूडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में सही नाम गुरदीप पुत्र रामकिशन अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 450/443 की कुल 13.1520है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में **प्रार्थी कुलदीप पुत्र रामकिशन जाति बावरी के स्थान पर सही नाम कुलदीप उर्फ गुरदीप पुत्र रामकिशन जाति बावरी किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच कुलदीप पुत्र रामकिशन के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कुलदीप पुत्र रामकिशन के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम कुलदीप पुत्र रामकिशन ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:55:58 IST
Reason: SelfAttested